फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, भीण्डर उदयपुर जिला उदयपुर

प्रार्थी : श्री बाबुलाल बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड

किस्म मुकदमा – 88 रा.का. अधिनियम पत्रावली संख्या : 03/24

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 29.08.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी उपस्थित। राजपरोकार उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. का पेश कर अनुतोष (क) व (ख) के स्थान पर वादग्रस्त आराजीयात में वादी का नाम बाबरू पुत्र नवला के बजाय बाबूलाल पुत्र नवला शुद्धि किये जाने की घोषणा कराये जाने का निवेदन किया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में तहसीलदार कानोड से रिपोर्ट, प्राप्त। तहसीलदार कानोड द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में बताया की वादग्रस्त आराजीयात में वादी का नाम बाबरू पुत्र नवला अंकित है जो गलत होने से बाबरू पुत्र नवला के बजाय बाबूलाल पुत्र नवला संशोधित किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से पाया कि जमाबन्दी संवत् 2045 –48 के खाता संख्या 363 के आराजी संख्या 1064, 1079, 1083, 1100 किता 4 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा खातेदारी हक से खातेदार श्री नवला पिता उदा जाति लोहार सा. देह के नाम दर्ज रेकर्ड थी। नामान्तरण संख्या 831 विरासत से नवला के बजाय बाबरू पिता नवला व मगनी बेवा नवला लोहार दर्ज हुआ। भू– प्रबन्धन विभाग द्वारा जारी मिलान खसरा अनुसार साबिक आराजी न. 1064, 1079, 1083, 1100 के हाल आराजी न. 2123, 2139, 2148, 2171 बने जो कि वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 215 में है। वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2078–81 की खाता संख्या 215 में खातेदार श्री बाबरू पुत्र नवला 1/2 लोहार व मगनी पत्नि स्व. नवला 1/2 जाति लोहार के नाम दर्ज थे। विरासत नामन्तरण संख्या 83 मगनी पत्नि स्व. नवला 1/2 के बजाय बाबूलाल पुत्र नवला 1/6 लोहार बदामी बाई पुत्री नवला 1/6 लोहार तुलसी पुत्री नाथी बाई 1/24 लोहार दुर्गाशंकर पुत्र नाथी बाई1/24 नन्दलाल पुत्र नाथीबाई 1/24 हमलता पुत्री नाथीबाई 1/24 के नाम दर्ज हुये। तहसीलदार कानोड द्वारा बताया गया की बाबरू एवं बाबूलाल एक व्यक्ति होकर अलग नही है। अधिवक्ता वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में मतदाता पहचान पत्र की प्रति, ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, पेन कार्ड की प्रति, राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक पास बुक की प्रति पेश की साथ ही कार्यालय ग्राम पंचायत पीथलपुरा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित किया कि ग्राम पंचायत पिथलपुरा गांव राजपुरा निवासी बाबरू उर्फ बाबूलाल लोहार नाम का एक ही व्यक्ति है साथ ही उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं।

प्रकरण में तहसीलदार कानोड की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात में खातेदार नवला पिता उदा लोहार के विरासत के नामान्तरण संख्या 831 खोलते समय वादी का नाम बाबरू पुत्र नवला दर्ज हुआ जबकि मगनी बेवा नवला फोत होने से मगनी बेवा नवला का नामान्तरण संख्या 83 दिनांक 11.08.2023 खोलते समय वादी का सही नाम बाबूलाल पुत्र नवला दर्ज हुआ। कार्यालय ग्राम पंचायत पीथलुपरा के प्रमाण पत्र व तहसीलदार कानोड ने अपनी रिपोर्ट में बाबरू पुत्र नवला एवं बाबूलाल पुत्र नवला एक ही व्यक्ति होना बताया है। अतः उपरोक्त [illegible] रिपोर्ट व वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वादी का वाद स्वीका[illegible] जाता है।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राज[illegible] काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार कर डिक्री किया जाता है कि मौजा राजपुरा पटवार हल्का पिथलपुरा तहसील कानोड जिला उदयपुर राज. की खाता संख्या न[illegible]215 की आराजी नम्बर 2123, 2139, 2148, 2171 किता 4 रकबा 0.3400 है. भूमि में खातेदार (वादी) का नाम बाबरू पुत्र नवला के बजाय बाबूलाल पुत्र नवला संशोधित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.02.06 16:37:13 IST
Reason: SelfAttested